संख्या I/14013/07/2010-रा.भा.(नीति-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

लोकनायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक : 07 अप्रैल, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः-हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

हिंदी भाषी राज्यों अर्थात् 'क' क्षेत्र में स्थित राज्यों (जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है) में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं, जो कि शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत है, के प्रयोग संबंधी प्रकरण पर सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखकर गंभीरता से विचार किया गया है ।

2. इन राज्यों में रहने वाली आम जनता की सुविधा, और समाज के विशाल वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा उपक्रम बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त, उन भाषाओं, जो राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत की गयी हैं, में सूचना/सामग्री लिखेंगे/मुद्रित करेंगे/पेंट करेंगे/उत्कीर्ण करेंगे/उकेरेंगे। सभी भाषाओं के शब्दों का आकार समान होगा ।

3. बोर्ड, साइन बोर्ड, नाम पट्ट और दिशा-संकेतक सर्वप्रथम हिंदी में लिखे/उकेरे जाएंगे अथवा मुद्रित/पेंट/उत्कीर्ण किए जायेंगे । राज्यों की राजभाषाओं, तथा अंग्रेजी भाषा का क्रम संबंधित विभाग या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

4. हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों के लिए दिनांक 18.06.1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या I/14013/5/76-रा.भा.(क-1) में निहित निर्देश, जिनके अनुसार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में प्रयोग की जानी है, यथावत् रहेंगे ।

5. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

(राकेश कुमार)

निदेशक (तकनीकी/नीति)

1. (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को – इस अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों की एक प्रति अपने सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों, अपने मंत्रालयों के नियंत्राणाधीन स्वायत्त निकायों, उपक्रमों तथा पर्याप्त लोक-संपर्क रखने वाले संगठनों यथा रेलवे, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड़ आदि में तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालित करें ।

   (ख) सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) को इस अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कम्पनियों तथा उक्त राज्यों में वित्तीय सेवाएं देने वाले अन्य संगठनों के अध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों को तत्काल परिचालित करवायें ।

2. क्षेत्र 'क' के सभी राज्यों यथा बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तरांखड़ के सचिवों (राजभाषा) तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को ।
3. अध्यक्ष, (उक्त राज्यों में स्थित) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां ।
4. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को रेलवे स्टेशनों पर नाम-पट्टों, साइन-बोर्डों पर प्रयोग होने वाली भाषा/भाषाओं से संबंधित उनके दिनांक 08.11.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या हिंदी 2010/रा.भा.1/8/5 तथा उसके बाद के पत्राचार के संदर्भ में ।
5. श्री ओंकार केडिया, एडीजी, मीडिया एवं कम्यूनिकेशन, गृह मंत्रालय
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को इस निदेश के साथ कि उक्त निदेशों को राजभाषा विभाग की वेब-साइट पर 'नया क्या है' तथा 'महत्वपूर्ण सूचनाएं' शीर्षकों के अंतर्गत अप-लोड करवायें ।

प्रति सूचनार्थ तथा इस निर्देश के साथ कि इस सूचना का विस्तारण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से एवं अन्य प्रचार माध्यमों से कराया जायेः-

1. सर्वकार्यभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (08),
2. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली ।